औरैया पुलिस

प्रेस-नोट **दिनांकः-09.10.2025**

थाना दिबियापुर/एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर, कब्जे से चोरी गया माल(कीमती करीब 2.5 लाख रू) किया बरामद-

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.10.2025 को थाना दिबियापुर/एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 582/2025 धारा 305A,331(4) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण- कुलदीप कुमार गुप्ता, दीपक गौतम व रामचन्द्र को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये माल तथा अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर चोरी की घटना का सफलतापूर्वक किया गया अनावरण।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.09.25 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र शोभाराम निवासी कलैक्ट्री थाना दिबियापुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना दिबियापुर पर मु0अ0सं0 582/2025 धारा धारा 305A,331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 09.10.2025 को संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बिझाई पुल रेलवे अण्डर पास- करोंधा गांव मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि समय करीब 12.27 बजे एक तेज रफतार मोटर साईकिल आती दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया परन्तु पुलिस टीम को देखकर मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियो द्वारा तेजी से मोटर साईकिल मोडकर अण्डर पास के दाहिने कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास करने लगे जिससे हडबडाहट में मोटर साईकिल अनियंत्रित होकर गिर गई जिसके उपरांत पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाइकिल पर सवार कुल 03 अभियुक्तगण- कुलदीप कुमार गुप्ता, दीपक गौतम व रामचन्द्र को मु0अ0सं0 582/2025 धारा 305A,331(4) बीएनएस थाना दिबियापुर जनपद औरैया से संबंधित चोरी के माल तथा अवैध तमंचा-कारतूस .315 बोर सहित समय करीब 01.40 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम से बचकर भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल के गिरने से घायल चालक अभियुक्त रामचन्द्र को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया तथा पुछताछ व बरामदगी के आधार पर थाना दिबियापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 582/25 मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गई व अभि0 कुलदीप कुमार गुप्ता व अभि0 दीपक गौतम के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल के कागजात उपलब्ध न कराने पर उक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पुछताछ के दौरान बताया गया कि हमारा चोरी का एक गैंग है जिसमे कुलदीप गुप्ता उर्फ शोभित गुप्ता ,दीपक गौतम, रामचन्द्र, राजू उर्फ कबडडू व रोनक वंधावन शामिल है हमलोग ज्वलर्श एवं सुनार, कीमती माल से भरी दुकानो की रैकी कर योजना बनाकर दुकानो के शटर/चैनल/गेट आदि को

सब्बल व जैक से तोडकर चोरी करते है तथा चोरी के माल का आपस मे बटवारा करते है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि करीब 11 दिन पहले योजना बनाकर हमने शटर तोडकर दिबियापुर में ज्वलर्श की दुकान के काउटर से चांदी का सामान चोरी किया था जिसमें हमने आपस में बाट लिया था तथा पकडे जाने के डर से करोधा गांव की झाडियो मे चोरी के माल को छिपा दिया था , पांच दिन पहले राजू व रोनक मथुरा के थाने मे पकडे गये है पकड़े जाने के डर से आज हम अपना माल लेकर जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड लिया गया। तथा अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि हमलोगो ने दि0 12.08.2025 को थानाक्षेत्र औरैया में एमआरएफ शोरूम मे शटर तोड़कर नगद पैसै भी चुराए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण विवरण-

1. कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र महावीर प्रसाद गुप्ता नि0 खजुरिया बाग थाना कोतवाली जिला उन्नाव उम्र 35 वर्ष
2. दीपक गौतम पुत्र कमलेश नि0 नसीरपुर भिक्कन थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव उम्र 24 वर्ष
3. रामचन्द्र पुत्र देवी दयाल नि0 अरसदपुर थाना शिवली जिला कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 582/2025 धारा 305A,331(4), 317(2) बीएनएस थाना दिबियापुर जनपद औरैया
2. मु0अ0सं0 580/2025 धारा 305A,331(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 513/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कुलदीप कुमार गुप्ता थाना दिबियापुर जनपद औरैया
2. मु0अ0सं0 514/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक गौतम थाना दिबियापुर जनपद औरैया

अपराधिक इतिहास-

नाम पता अपराधी	अपराधिक इतिहास
1.कुलदीप गुप्ता उर्फ शोभित गुफ्ता s/o महावीर प्रसाद आवासीय वर्तमान पता-ग्राम गढी, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, आवासीय स्थायी पता-ग्राम गढी, बांगरमऊ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	1.मु0अ0सं0 329/19 धारा 41 सीआरपीसी 411 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ दक्षिणी (कमिश्नरेट लखनऊ)
	2.मु0अ0सं0 330/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ दक्षिणी (कमिश्नरेट लखनऊ)
	3.मु0अ0सं0 330/17 धारा 380/411 भादवि थाना बांगरमऊ उन्नाव
	4.मु0अ0सं0 339/17 धारा 120-B, 380, 411, 457 भादवि थाना बांगरमऊ उन्नाव
	5.मु0अ0सं0 472/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बांगरमऊ उन्नाव
	6.मु0अ0सं0 521/18 धारा 25, 3 आर्म्स एक्ट थाना गंगाघाट उन्नाव
	7.मु0अ0सं0 1596/17 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
	8.मु0अ0सं0 846/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
	9.मु0अ0सं0 347/21 धारा 380, 411 भादवि थाना अजगैंन उन्नाव

	10.मु0अ0सं0 516/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
	11.मु0अ0सं0 63/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना दही उन्नाव
	12.मु0अ0सं0 91/21 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना दही उन्नाव
	13.मु0अ0सं0 97/21 धारा 25, 3 आर्म्स एक्ट थाना दही उन्नाव
	14.मु0अ0सं0 51/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दही उन्नाव
	15.मु0अ0सं0 582/12 धारा 380, 395, 397, 457 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
	16.मु0अ0सं0 606/12 धारा 380, 457, भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
	17.मु0अ0सं0 5380/11 धारा 109, 41 सीआरपीसी थाना कोतवाली उन्नाव
	18.मु0अ0सं0 337/2007 धारा 379, 411 भादवि बंगेरमऊ उन्नाव
2.दीपक रैदास पुत्र कमलेश रैदास निवासी नसीरपुर उन्नाव	जानकारी की जा रही है
3.रामचन्द्र पुत्र देवी दयाल निवासी अरसदपुर शिवली कानपुर देहात	जानकारी की जा रही है

बरामदगी-

1. कुल 13 अदद छोटे/बड़े लोटे सफेद धातु } कुल डेढ़ किलो वजनी सफेद धातु
2. दो ढक्कन नुमा प्लेट सफेद धातु
3. दो तमंचे .315 बोर
4. कुल 05 जिन्दा कारतूस .315 बोर
5. एक मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना (UP77AP6121)

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी दिबियापुर श्री रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी मय हमराह
2. उ0नि0 नेम सिंह मय हमराह
3. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह